न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–4 / विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–537 / 2026

CNR No-UPGD01001604-2026

बेचू प्रसाद शर्मा उर्फ गोगे आयु करीब 36 वर्ष पुत्र स्व0 रामदीन, निवासी–ग्राम वीरपुर सूबेदार, थाना इटियाथोक, जिला गोण्डा।

.....प्रार्थी / अभियुक्त।

प्रति

उ0प्र0 सरकार **.....अभियोजन पक्ष।**

अपराध संख्या–653 / 2023,
धारा–135(1)ए भारतीय विद्युत अधिनियम,
थाना–एण्टीपावर थेफ्ट, जिला गोण्डा।

दिनांक–09.03.2026

अभियुक्त **बेचू प्रसाद शर्मा उर्फ गोगे** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–653 / 2023, अन्तर्गत धारा–135(1)ए भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना–एण्टीपावर थेफ्ट, जिला गोण्डा के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त के संदर्भ में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र माननीय सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो जरिये अन्तरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.04.2023 को समय 17.33 पी0एम0 बजे वादी मुकदमा उ0नि0 विनोद कुमार यादव, प्रवर्तन दल मय टीम द्वारा चेकिंग करने पर पाया गया कि आप अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपनी फर्नीचर की दुकान में डायरकेक्ट केबिल जोड़कर अवैध रूप से विद्युत चोरी करते पाये गये, जो भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 / 2007 की धारा 135(1)(ए) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

वादी मुकदमा द्वारा दी गयी उक्त आशय की तहरीर के आधार पर थाना एण्टी पावर थेफ्ट, जिला गोण्डा में अभियुक्त बेचू प्रसाद शर्मा उर्फ गोगे के विरूद्ध मु0अ0सं0 1085 / 2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 135(1)(ए) भारतीय विद्युत अधिनियम दर्ज की गयी।

प्रार्थी / अभियुक्त की ओर जमानत प्रार्थना पत्र में जमानत हेतु यह आधार लिया गया है कि आवेदक / अभियुक्त निर्दोष व बेगुनाह है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसको फर्जी तरह से जानबूझकर हैरान व परेशान करने की नियत से उपरोक्त मुकदमें में फंसा दिया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना देना नहीं है। इन कथनों के आधार पर प्रार्थी ने उचित मुचलके पर रिहा किए जाने की याचना की है।

Digitally signed by DANISH HASNAIN
Date: 2026.03.18 14:35:41 AEST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोजन की तरफ से विद्वान विषेष लोक अभियोजक (विद्युत) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपनी फर्नीचर की दुकान में डायरेक्ट केबिल जोड़कर अवैध रूप से विद्युत चोरी की जा रही थी। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त उपरोक्त पर अपनी फर्नीचर की दुकान में डायरेक्ट केबिल जोड़कर अवैध रूप से विद्युत चोरी करने का आक्षेप लगाया गया है। अभियुक्त ने उक्त अपराध से इंकार किया है। अभियुक्त ने आज न्यायालय में आत्म समर्पण किया है, जिससे उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। इसके अतिरिक्त मामले में घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिसका प्रसंज्ञान न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2026 को लिया जा चुका है।

अतः ऐसे में मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना मेरे मत में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **बेचू प्रसाद शर्मा उर्फ गोगे** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 653/2023, अन्तर्गत धारा–135(1)ए भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना–एण्टीपावर थेफ्ट, जिला गोण्डा के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **संख्या 537/2026 स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 20,000/–रू0 (बीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व उसी धनराशि की **एक** प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(दानिश हसनैन)
J.O.Code UP 2727
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
गोण्डा।

दिनांक 09.03.2026